लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल

दूरभाष: 0755–2583850, फैक्स: 2583851, ई–मेल: coord-dpi@mp.gov.in

क्रमांक / समन्वय / सम0 / 2016 / 304 भोपाल, दिनांक 30.12.16

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
2. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण (विधि प्रकोष्ठ)
   इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला परियोजना समन्वयक,मध्यप्रदेश।

विषयः– वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनांक 21.12.2016 का कार्यवाही विवरण।

विषयांतर्गत दिनांक 21.12.2016 को सम्पन्न वीडियों कॉन्फ्रेरिंग का कार्यवाही विवरण संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए पालन प्रतिवेदन संभागीय संयुक्त संचालक को प्रेषित करें, संभागीय संयुक्त संचालक संभाग की संकलित जानकारी तत्काल संचालनालय के संबंधित कक्ष को उपलब्ध करायें।

<u>संलग्नः–उपरोक्तानुसार।</u>

संचालक
लोक शिक्षण,म0प्र0

पृ0क्रमांक / समन्वय / सम / 2016 / 305 भोपाल, दिनांक 30.12.16

प्रतिलिपिः–

समस्त संबंधित अधिकारीगण,लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक
लोक शिक्षण,म0प्र0

दिनांक 21.12.2016 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग का कार्यवाही विवरणः

- दिनांक 21.12.2016 को अपरान्ह 2.00 बजे से 5.00 बजे तक वल्लभ भवन, मंत्रालय के कक्ष क्र0–66 में संचालक, लोक शिक्षण की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेसिंग की कार्यवाही सम्पन्न हुई। वीडियो कान्फ्रेसिंग में समस्त संभागीय संयुक्त संचालक/ जिला शिक्षा अधिकारी, संचालनालय के अधिकारीगण एवं प्रदेश के विकासखंड मुख्यालय के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के एक प्राचार्य जिसे नोडल प्राचार्य नियुक्त किया गया है, उपस्थित रहे। इस वीडियो कान्फ्रेंसिंग में शासन स्तर से ओएसडी श्री आर.के. त्रिवेदी, भी उपस्थित थे। एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा कर निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–
- कक्षा 9 एवं 11वीं की परीक्षा के लिये एम0पी0 ऑनलाईन के माध्यम से प्रश्न पत्रों की संख्या की एन्ट्री करने के निर्देश दिये। दतिया, अशोक नगर, बडवानी, झाबुआ, सीधी, दमोह जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि उनके यहॉ पोर्टल नहीं खुलने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी है। जिसमें दतिया जिले के 7 हाईस्कूल के बच्चों की फीस पोर्टल नहीं खुलने के कारण भरी नहीं जा सकी है। जि0शि0अ0, रतलाम का पोर्टल पर उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रश्नपत्र डालते है, तो उर्दू विषय नहीं खुलता है।
- सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनवरी, 2017 में होने वाली प्रतियोगिताओं हेतु खेल के मैदान व कोच की उपलब्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही दिये गये बंटन का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही आगे आवंटन जारी किया जायेगा।
- जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से कम है वहॉं पर परीक्षा परिणाम का प्रतिशत बढ़ाने हेतु संबंधित संयुक्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को सतत् मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए।
- अध्यापक संवर्ग के लिए समय–सीमा में वेतन भुगतान बाबत् संचालनालय के निर्देश दिनांक 30.11.2016 एवं 22.12.2016 को जारी पत्रानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
- लेपटॉप वितरण योजनांतर्गत वर्ष 2016–17 में पात्र छात्र संख्या लाभान्वित छात्र संख्या लाभ से वंचित छात्र संख्या, नाम सहित, जानकारी संचालनालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये। सी.एम. हेल्पलाईन में अधिकांश शिकायतें लेपटॉप वितरण से संबंधित है। शीघ्र निराकरण हेतु निर्देशित किया गया।
- निःशुल्क सायकिल वितरण योजना के अंतर्गत जिन छात्रों की मेपिंग की गई है उसमें 5 लाख का अंतर आ रहा है। अतः पात्र छात्रों के संबंध में जॉच कर ली जायें, जो छात्र पात्र नहीं है उन्हें अपात्र की सूची में डाल दिया जायें। उक्त सत्यापन का प्रमाणपत्र संचालनालय भेजने हेतु निर्देश दिये गये।
- समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2016–17 में मिशन वन –क्लिक के माध्यम से छात्रवृत्ति वितरण किया जाना है। इसके लिये जिन विद्यार्थियो के बैंक खातों का सत्यापन शेष था उन सभी विद्यार्थियों का विवरण समग्र शिक्षा पोर्टल पर ssDDo के लोगइन में उपलब्ध कराया जाकर निर्देशित किया गया था कि संकुल प्राचार्यो/स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा समस्त असत्यापित बैंक खातों की जॉच एवं

आवश्यकतानुसार संशोधन कर पुनः बैंक खाते सत्यापित किए जाए। अद्यतन भी शतप्रतिशत विद्यार्थियों के बैंक खातों का सत्यापन नहीं किया गया है। अतः समस्त विद्यार्थियों के बैंक खातों का सत्यापन दिनांक 24.12.2016 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शतप्रतिशत विद्यार्थियों के बैंक खाते सत्यापित किये जाने का प्रमाणपत्र संचालनालय के ई–मेल के पते पर दिनांक 26.12.2016 प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

- शासन के निर्देशानुसार छात्रवृत्ति भुगतान आधार सीड बैंक खातों में किया जाना है इस हेतु संचालनालय का पत्र दिनांक 24.9.2016 द्वारा निर्देश जारी किए गए है। छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों के बैंक खातों को आधार से सीड करने की कार्यवाही 31 दिसंबर, 2016 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाए।
- गत वर्ष की लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान न होने के कारण सी.एम. हेल्पलाइन में बडी संख्या में छात्रवृत्ति के प्रकरण उद्‌भूत हो रहे है। अतः गत वर्ष की लंबित छात्रवृत्ति के देयक तत्काल कोषालय में प्रस्तुत कर भुगतान करावें एवं सी.एम. हेल्पलाईन के प्रकरणों का निराकरण पोर्टल पर प्रविष्टि कराए।
- डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2013–14 से वर्ष 2016–17 की छात्रवृत्ति वितरण की जानकारी चाही गई थी। अधिकांश जिलों द्वारा प्रेषित नहीं की गई संचालनालय में माह दिसंबर हेतु निर्धारित बैठक के पूर्व समेकित छात्रवृत्ति के ई–मेल पते पर प्रेषित करें।
- समेकित छात्रवृत्ति योजना विषयक जिन बिन्दुओं की वांछित जानकारी जिलों/संभागों से अप्राप्त है। उनकी बिन्दुवार सूची समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/ संभागीय संयुक्त संचालकों को प्रेषित की गई है। माह दिसंबर हेतु निर्धारित बैठक दिनांक 23 एवं 24 दिसंबर के पूर्व समेकित छात्रवृत्ति के ई–मेल पते पर प्रेषित करे।
- पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विकासखण्ड के स्कूलों होने वाले व्यय के संबंध में चर्चा की गई। जो राशियॉ दी जाती है वह काफी कम रहती है। अतः फर्नीचर रिपेरिंग, पुताई, मरम्मत आदि कार्य शाला समिति द्वारा की जा सकती थी। अतः कुल खर्च ढाई करोड़ हो पाया है जबकि कुल 6 करोड़ की राशि उपलब्ध है। अतः खर्च में तत्परता नहीं बरती गई है। ऐसी स्थिति में अगले प्लान में राशि उपलब्ध हो पाना मुश्किल होगा। अतः निर्देश दिये गये कि तृतीय त्रैमास में सारी राशि खर्च करने का प्लान बनाकर राशि शतप्रतिशत खर्च करने के निर्देश दिये गये।
- 6 संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय के तथा 17 जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के भवनों के निर्माण के लिये राशि जारी कर दी गई है। राशि पी.आई.यू. के पास है, अतः स्थान चिन्हित करके कार्य आरंभ करना होगा। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का निर्माण से संबंधित स्थान चिन्हित कर भवन के निर्माण के टेण्डर लगवा लिये जावें। इस वर्ष जो भवन स्वीकृत होते है,उनकी स्वीकृतियॉं मेल कर दी जाती है। आर.एम.एस.ए. के बहुत से कार्य चल रहे है उन कार्यों के साथ इस कार्य को भी नियमित कर दिया जायें। रीवा, भोपाल और इंदौर तीनों स्थानों पर 100 सीटर छात्रावास बनाने है। अतः यह चिन्हित करके तत्काल सूचित किया जायें। इसी प्रकार हाई/हा0से0 स्कूल भवनों की स्थिति की है जिसमें स्वीकृतियॉं प्राप्त होते ही आपको सूचित कर दिया जाता है।

- एन.एस.डी.एल. पोर्टल पर अपलोड किये गये पेंशन प्रकरणों पर चर्चा हुई। एन.एस.डी. एल. के पोर्टल पर अपलोड करने के लिए एक बैठक दिनांक 22.12.2016 को आयोजित की गई है। जिसमें एन.एस.डी.एल. बोम्बे से एक दल द्वारा जानकारी दी जायेंगी । अतः समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि वे अपने जिले से एक शिक्षक को इस बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। संचालनालय स्तर पर वर्तमान में 157 प्रकरण लंबित है जिनमें कुछ कमियों पाई गई है। यदि इनकी कमियों को दूर कर दिया जाये तो लंबित प्रकरणों का निपटारा किया जा सकता है।
- डी.डी.ओ. अब बी.ई.ओ. हो गये है। संबंधित जानकारी निर्धारित परिपत्र पर चाही गयी है। जानकारी तत्काल संचालनालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
- सी.एम. हेल्पलाईन के प्रकरणों को गंभीरता से निपटाने के निर्देश दिये गये। वर्तमान में सी.एम. हेल्पलाईन के, एल–4 स्तर के 6800 प्रकरण लंबित है तथा एल–3 स्तर पर इन प्रकरणों में कोई भी टीप अंकित नहीं की जा रही है। अतएव टीप अंकित करने हेतु निर्देशित किया गया।
- सी.सी.एम.आई.एस. पोर्टल पर विधि प्रकरणों की प्रविष्टि एवं प्रभारी अधिकारी के आदेश एवं प्रत्यावर्तन की प्रविष्टि हेतु समस्त संभागीय संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया। साथ ही अवमानना प्रकरणों में वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के संबंध में समय पूर्व पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। विगत माह में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र शीघ्र भेजने हेतु निर्देशित किया गया एवं अतिथि शिक्षकों के न्यायालयीन प्रकरणों में शासन आदेश दिनांक 19.5.2016 के अनुक्रम में अभ्यावेदन जिला स्तर से ही निराकृत कर संबंधितों को अवगत कराने हेतु निर्देश दिये गये।

धन्यवाद के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संपन्न की गई।

संचालक
लोक शिक्षण,म0प्र0